

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1747

दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

बाल दुर्व्यापार

†1747. डॉ. उमेश जी जाधव:

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित बाल-दुर्व्यापार की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बच्चों को बचाया गया है;
- (ग) सरकार द्वारा दिल्ली सहित देश में बाल दुर्व्यापार और बाल अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या दिल्ली में बाल दुर्व्यापार के पीड़ितों, बाल वेश्यावृत्ति और बच्चों के प्रति ऐसे ही अपराधों के पीड़ितों के लिए कोई पुनर्वास गृह हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके उपयुक्त अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराध संबंधी सूचना को संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2016 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 से 2016 के दौरान बाल दुर्व्यापार के सूचित किए गए मामलों तथा छुड़ाए गए बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्रमशः अनुलग्नक-1 तथा II में दी गई है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' राज्य का विषय है और इसलिए, मानव दुर्व्यापार के अपराध तथा बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, गृह मंत्रालय (एमएचए) विभिन्न पहलें और उपाय करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों की स्थापना के लिए

सभी राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है और राज्यों के विभिन्न जिलों में 332 मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटें गठित की गई हैं। गृह मंत्रालय 'न्यायिक वार्तालाप' तथा 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' आयोजित करने के लिए राज्यों और राज्यों की न्यायिक अकादमियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है ताकि पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को दुर्व्यापार से संबंधित कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और दुर्व्यापार को रोकने में उनकी भूमिका के बारे में बताया जा सके। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानव दुर्व्यापार संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनकी मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटों के नोडल अधिकारियों की बैठकें भी आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं। गृह मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानव दुर्व्यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के संबंध में विभिन्न परामर्शी पत्र भी जारी किए हैं। ये परामर्शी पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट: www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय दुर्व्यापार को रोकने और व्यापारिक यौन शोषण हेतु किए गए दुर्व्यापार के पीड़ितों को छुड़ाने, उनके पुनर्वास और उन्हें उनके परिवार से मिलाने के लिए 'उज्ज्वला' स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के लक्षित समूह तथा लाभार्थी ऐसी महिलाएं और बच्चे हैं, जो दुर्व्यापार के लिए असुरक्षित हैं। महिला तथा बाल विकास विभाग ने लापता बच्चों का पता लगाने और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल तथा सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के तहत बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में रह रहे बच्चों की प्रगति की मानीटरिंग करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया है। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उन्होंने महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महिला हेल्पलाइन, बीट अधिकारियों द्वारा गहन गश्त, सुग्राहीकरण तथा सार्वजनिक स्थानों पर जांच, प्लेसमेंट एजेंसियों की पहचान, लापता बच्चों का पता लगाने और उन्हें परिवार से मिलाने के लिए विशेष अभियानों, जबरन मजदूरी में लगाए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए बचाव अभियान आदि जैसे विभिन्न उपायों वाली बहुआयामी रणनीति अपनाई है। पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वयन के लिए दिल्ली पुलिस आसूचना को साझा

करने तथा अंतर-राज्यीय अपराध के मुद्दों पर संयुक्त कार्रवाई योजना के लिए अंतर-राज्यीय समन्वयन बैठकें आयोजित करती हैं।

(घ) और (ड.): दिल्ली में बाल देखभाल संस्थाओं का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 तथा उसके तहत तैयार मॉडल नियमावली में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाल देखभाल संस्थाओं की भौतिक अवसंरचना तथा रख-रखाव के मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन संस्थानों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व स्थानीय सरकार का है।

वर्ष 2014-2016 के दौरान दुर्व्यापार के पीड़ित बच्चों (18 वर्ष की आयु से कम) की
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016
1	आंध्र प्रदेश	13	74	44
2	अरुणाचल प्रदेश	42	11	2
3	असम	103	129	130
4	बिहार	220	230	196
5	छत्तीसगढ़	93	101	138
6	गोवा	19	2	2
7	गुजरात	26	335	485
8	हरियाणा	26	63	13
9	हिमाचल प्रदेश	1	7	4
10	जम्मू और कश्मीर	2	4	0
11	झारखंड	120	198	90
12	कर्नाटक	65	178	332
13	केरल	1	66	83
14	मध्य प्रदेश	110	55	97
15	महाराष्ट्र	533	295	172
16	मणिपुर	16	3	9
17	मेघालय	5	1	1
18	मिजोरम	0	0	2
19	नागालैंड	2	2	0
20	ओडिशा	827	143	206
21	पंजाब	3	103	48
22	राजस्थान	1351	2387	2519
23	सिक्किम	0	0	1
24	तमिलनाडु	62	143	317
25	तेलंगाना	1	300	7
26	त्रिपुरा	1	5	6
27	उत्तर प्रदेश	27	14	822
28	उत्तराखंड	19	14	3
29	पश्चिम बंगाल	1452	1792	3113
	कुल राज्य	5140	6655	8842
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0
31	चंडीगढ़	16	27	1
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
33	दमण एवं दीव	0	1	1
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	762	465	190
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	65	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	845	493	192
	कुल (अखिल भारत)	5985	7148	9034

टिप्पणी : वर्ष 2014 और 2015 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस की मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों से प्राप्त मासिक मानव दुर्व्यापार रोधी आंकड़े

वर्ष 2014-2016 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार छुड़ाए गए पीड़ित बच्चे (18 वर्ष की आयु से कम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016
1	आंध्र प्रदेश	28	112	44
2	अरुणाचल प्रदेश	19	4	0
3	असम	46	101	37
4	बिहार	220	230	196
5	छत्तीसगढ़	86	97	136
6	गोवा	469	1099	2
7	गुजरात	23	335	435
8	हरियाणा	25	52	13
9	हिमाचल प्रदेश	6	19	4
10	जम्मू और कश्मीर	0	2	0
11	झारखंड	91	151	31
12	कर्नाटक	138	178	332
13	केरल	1	69	339
14	मध्य प्रदेश	234	1591	2653
15	महाराष्ट्र	584	305	172
16	मणिपुर	18	3	9
17	मेघालय	7	1	1
18	मिजोरम	0	0	2
19	नागालैंड	2	2	0
20	ओडिशा	607	118	192
21	पंजाब	3	103	34
22	राजस्थान	3858	4907	5626
23	सिक्किम	0	0	1
24	तमिलनाडु	60	202	648
25	तेलंगाना	1	347	7
26	त्रिपुरा	1	5	6
27	उत्तर प्रदेश	377	14	852
28	उत्तराखंड	19	12	3
29	पश्चिम बंगाल	1188	1346	2216
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0
31	चंडीगढ़	16	27	1
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
33	दमण एवं दीव	0	1	1
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	762	465	190
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	65	0	0
	कुल	8956	11898	14183

टिप्पणी: वर्ष 2014 और 2015 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस की मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों से प्राप्त मासिक मानव दुर्व्यापार रोधी आंकड़े

लो.स.अता.प्र.सं. 1747 दिनांक 2 जुलाई, 2019

वित्त वर्ष 2018-19 में सीपीएस के तहत वित्तपोषित बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) की सूची

सरकार द्वारा संचालित गृह

क्र.सं.	गृह का नाम और पता
1.	फुलवारी चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज-I, अलीपुर, दिल्ली।
2.	आशियाना चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज-II, अलीपुर, दिल्ली।
3.	उज्ज्वल चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज-I, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
4.	उदय चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज-II, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
5.	अनुपमा चिल्ड्रेन होम फॉर गर्ल्स -I, जेल रोड़, नई दिल्ली।
6.	अनुकृति चिल्ड्रेन होम फॉर गर्ल्स -II, जेल रोड़, नई दिल्ली।
7.	विलेज कोटेज होम-I एंड II, (लड़कों तथा लड़कियों के लिए), पीडब्ल्यूडी बैरक्स, बी-ब्लॉक, कालकाजी, नई दिल्ली।
8.	विलेज कोटेज होम-I, (लड़कों तथा लड़कियों के लिए), कस्तूरबा निकेतन काम्पलेक्स, लाजपत नगर, नई दिल्ली-24
9.	विलेज कोटेज होम-III, (लड़कों तथा लड़कियों के लिए), कस्तूरबा निकेतन काम्पलेक्स, लाजपत नगर, नई दिल्ली-24
10.	होम फॉर हेल्दी चिल्ड्रेन (मेल एंड फीमेल) ऑफ लैप्रेसी एफेक्टिव पर्सन्स, निर्मल छाया काम्पलेक्स, जेल रोड़, नई दिल्ली।
11.	होम फॉर हेल्दी फीमेल चिल्ड्रेन ऑफ लैप्रेसी पेशेंट्स, निर्मल छाया काम्पलेक्स, जेल रोड़, नई दिल्ली-64
12.	संस्कार आश्रम फॉर बॉयज-I, दिलशाद गार्डन, जी.टी.बी. अस्पताल के सामने, दिल्ली-32
13.	संस्कार आश्रम फॉर बॉयज-II, दिलशाद गार्डन, जी.टी.बी. अस्पताल के सामने, दिल्ली-32
14.	संस्कार आश्रम फॉर गर्ल्स, दिलशाद गार्डन, जी.टी.बी. अस्पताल के सामने, दिल्ली-32

2. गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित गृह

क्र.सं.	गृह का नाम और पता
1.	डान बास्को अशालायम, ओल्ड नजफगढ़ रोड़, पालम गांव, दिल्ली-45 (डीएल/2016/0113488)
2.	सलाम बालक ट्रस्ट, दूसरा तल, डीडीए कम्यूनिटी सेंटर, चांदीवाली गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55 (डीएल/2014/0082410)
3.	प्रयास शेल्टर होम फॉर गर्ल्स, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-62 (डीएल/2016/0099856)
4.	प्रयास चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज, ईई ब्लॉक जहांगीरपुरी, दिल्ली-33 (प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, 59, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-62 (डीएल/2016/0099856)
5.	बाल सहयोग, एल ब्लॉक के सामने, कनाॅट प्लेस नई दिल्ली-1 (डीएल/2016/0105320)
6.	सलाम बालक ट्रस्ट, डीएमआरसी, चिल्ड्रेन होम, प्रथम तथा दूसरा तल, भार्गव लेन, मेट्रो पिलर, नई दिल्ली (डीएल/2014/0082410)
7.	एसपीवाईएम, III/9, सेक्टर बी-4 के सामने, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
8.	रोज उद्ययान शेल्टर होम फॉर गर्ल्स, नजफगढ़ दिल्ली

लो.स.अता.प्र.सं. 1747 दिनांक 2 जुलाई, 2019

3. गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित ओपन शेल्टर

क्र.सं.	एनजीओ का नाम और पता	शेल्टर का स्थान
1.	प्रयास (मोरी गेट) 59, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली-62 (डीएल/2016/0099856)	बीवीके, कूचा मोहतार खान, मोरी गेट, दिल्ली
2.	प्रयास (आजादपुर) 59, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली-62 (डीएल/2016/0099856)	रेलवे पार्सल गोदाम, केला गोदाम के पास, आजादपुर रेलवे स्टेशन
3.	प्रयास (नबी करीम) 59, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली-62 (डीएल/2016/0099856)	मकान सं.6130, गली सं.15 रवि दास, नबी करीम, दिल्ली-56
4.	प्रयास (कश्मीरी गेट) 59, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली-62 (डीएल/2016/0099856)	हनुमान मंदिर यमुना बाजार, नई दिल्ली
5	बालसहयोग कनॉट सर्कस, एल ब्लॉक के सामने, मार्केट, नई दिल्ली (डीएल/2016/0105320)	कनॉट सर्कस, एल ब्लॉक के सामने, मार्केट, नई दिल्ली
6	साथी 4676/21 दूसरा तल, अंसारी रोड नई दिल्ली-2 (केए/2016/0105187)	4676/21, दूसरा तल अंसारी रोड नई दिल्ली-2
7.	सलाम बालक ट्रस्ट, डीडीए कम्यूनिटी सेंटर, II, फ्लोर चांदीवाली गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55 (डीएल/2014/0082410)	दूसरा तल, डीडीए कम्यूनिटी सेंटर, गली सं.-11, मुलतानी ढांढा, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055
8.	सलाम बालक ट्रस्ट, डीडीए कम्यूनिटी सेंटर, दूसरा तल, चांदीवाली गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55 (डीएल/2014/0082410)	ओडीआरएस ओपन शेल्टर, 3903- दूसरा तल रीता बिल्डिंग हैमिल्टन रोड, मोरीगेट
9.	सोसाइटी फॉर पार्टीसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट (एसपीआईटी), डब्ल्यूजेड- 1374ए/2, दूसरा तल कृष्णा भवन, नांगल राया, नई दिल्ली-46 (डीएल/2009/0001894)	एसएमएस सेंटर, एमसीडी स्कूल बिल्डिंग, पुलिस चौकी और हनुमान मंदिर के समीप, श्रद्धानंद मार्ग, दिल्ली।
